राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक / रीडर / 2017 / 182 दिनांक 3/7/17

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व वाद सं. 212 / 2014 अनवान गुणेशा बनाम ताजाराम वगैरा में पारित निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 30.06.2017 को पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार निर्णय की पालना कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :– निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 212/2014

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 188, रा.का.अ.

अनवान वादीगण– 1.गुणेशा खोले प्रभु कौम जाट
साकिन मियाजल की बेरी
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.ताजाराम पुत्र राजूराम 2.रामाराम 3.जेठाराम पि.सोनाराम
4.मेहराराम 5.हेमाराम पि.तेजाराम जाति जाट
6.धनाराम 7.नथाराम 8.दूदाराम
9.धर्माराम पि. कौशलाराम जाति मेगवाल
निवासी पाबूबेरा (कारटिया) तहसील सेड़वा

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री महेन्द्र रामावात**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री बाबूलाल जाणी**

निर्णय

दिनांक :– 20/6/17

वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी का खेत खसरा सं. 4 रकबा 39.08 बीघा, खसरा सं. 58 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 59 रकबा 00.09 बीघा, खसरा सं. 60 रकबा 00.09 बीघा, खसरा सं. 61 रकबा 78.05 बीघा, खसरा सं. 62 रकबा 04.13 बीघा मौजा मियाजल की बेरी, पटवार क्षेत्र केकड़ तहसील सेड़वा में आये हुए है। प्रतिवादीगण वादी के खेतों के सेढ़ा पड़ौसी है। उनके खेत पाबूबेरा में आये हुए है। प्रतिवादीगण हमेशा वादी का सेढ़ा तोड़कर वादी के खेतों में घुसने व कब्जा करने का प्रयास करते रहते है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश्य की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के मुस्तक है कि प्रतिवादीगण वादी के खेत खसरा सं. 4 रकबा 39.08 बीघा, खसरा सं. 61 रकबा 78.05 बीघा व खेत खसरा सं. खसरा सं. 62 रकबा 03.13 बीघा मौजा मियाजल की बेरी, पटवार क्षेत्र केकड़ तहसील सेड़वा में

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास *श्री भागीरथराम आर.ए.एस.*

1.गुणेशा खोले प्रभु कौम जाट
साकिन मियाजल की बेरी
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर

बनाम

1.ताजाराम पुत्र राजूराम 2.रामाराम
3.जेठाराम पि.सोनाराम 4.मेहराराम
5.हेमाराम पि.तेजाराम जाति जाट
6.धनाराम 7.नथाराम 8.दूदाराम
9.धर्माराम पि. कौशलाराम जाति मेगवाल
निवासी पाबूबेरा (कारटिया) तहसील सेड़वा

वाद बाबत 188, RT Act.

मुकदमा नं. 212/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री महेन्द्र रामावत** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री बाबूलाल जाणी** एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **वादी का वाद स्वीकार कर मौजा मियाजल की बेरी, केकड़ तहसील सेड़वा के खसरा सं. 4 रकबा 39.08 बीघा, खसरा सं. 61 रकबा 78.05 बीघा, खसरा सं. 62 रकबा 03.13 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में सक्षम न्यायालय के आदेशों तक वादी एवं प्रतिवादीगण दोनों को एक दूसरे के खातेदारी की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।** तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे। .... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के गय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30/6/17 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुहर

दस्तखत............

ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में दखल नहीं करे न ही कब्जा करे, न ही उसके खेत में प्रवेश करे जिस हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल तामिल प्राप्त । जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी सं. 1 से 3, 5, 9 की ओर से अधिवक्ता बाबूलाल जाणी ने पूर्व में वकालतनामा पेश किया । जो पत्रावली शामिल किये गये।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प केकड़ में दिनांक 30.06.17 को पेश हुई। वादी उपस्थित । प्रतिवादी वकील उपस्थित। वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण हमारे सेढ़ा पड़ौसी है तथा सेढ़े पर विवाद करते है। हमारे कब्जा काश्त में दखल करते है। इसलिए प्रतिवादीगण को पाबन्द करे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली में पेश समस्त दस्तावेजों, साक्ष्यों, सबूतों का गहन अध्ययन/अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा **मियाजल की बेरी, केकड़ तहसील सेड़वा के खसरा सं. 4 रकबा 39.08 बीघा, खसरा सं. 61 रकबा 78.05 बीघा, खसरा सं. 62 रकबा 03.13 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में सक्षम न्यायालय के आदेशों तक** वादी एवं प्रतिवादीगण दोनों को **एक दूसरे के खातेदारी की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार** की दखलन्दाजी नहीं करने **की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार** सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि **निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे।**

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.17 को राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2017 को न्यायालय कैम्प केकड़ मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन